न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 45 / 2023

1 प्रियंका कुमारी पत्नी प्रमोद कुमार जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 विकास कुमार मीणा पुत्र नत्थुराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 नत्थुराम पुत्र मालाराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं मु.नं. 267 / 2019 उनवानी विकास कुमार बनाम नत्थुराम वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश दिनांक 23.01.2023 बेइजलाला श्री रामसिंह राजावत(आरएएस)

उपस्थिति :
1. श्री अलीशेर खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुनील सेवदा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 27/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 267/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1090/212, 203, 235, 58, 59 वाके ग्राम किशोरपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तथाकथित विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश पारित किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। अपीलान्ट रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार से जरिये विक्रय पत्र भूमि खरीदी है। सदभावी क्रेता ह। सेलडीड के आधार पर किसी भी अराजयात का नामांतकरण तस्दीक किया जाना कानूनन राजस्व अधिकारी बाधित होते है। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण को रोके जाने का आदेश उक्त निर्णय में रिकार्ड की यथास्थिति का व्यादेश पारित कर रोका गया है जो अपीलान्ट सदभावी क्रेता है के हक में विपरित जाकर पारित किया गया है जो आदेश निर्णय काबिले खारिज है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पुत्र पिता है। पिता नत्थु द्वारा अपने पुत्र विकास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहमति से और रजिस्ट्रार ऑफिस में पिता के साथ उपस्थित होकर अपीलान्ट को जमीन विक्रय तस्दीक विक्रय पत्र करवाया था। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बेईमानी आ गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा संपूर्ण राशि अदा कर दी गई है और कब्जा भी ले लिय गया है। महज नामांतकरण के समय झुठा व बेबुनियाद दावा पेश कर यह स्थगन आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्राप्त करा है जो काबिले खारिज है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि आवेदक की पैतृक भूमि है जिसमें आवेदक का हक व हिस्सा है, आवेदक का पिता अनावेदक संख्या 1 एक शराबी व्यक्ति होने के कारण आवेदक को बार–बार भूमि को विक्रय करने की धमकी देता है। भूमि का राजस्व रिकार्ड जो कि अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज है, का फायदा उठाकर भूमि का विक्रय कर देता है तो आवेदक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व अनावेदक संख्या 1 को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनन अधिकार भी प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है जिसमें आवेदक का हिस्सा व हक है। अगर अनावेदक संख्या 1 द्वारा भूमि का दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो आवेदक को काफी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि है। पैतृक आधार पर प्रार्थी द्वारा वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों के हितों को निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। मूलवाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व विवादित भूमि के संदर्भ में विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर